सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार 17 बिन्दुओं की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार संलग्न हैं ।

<u>लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1 सिवनी</u>

<u>बिन्दु क्रमांक-1</u> :- इसके संगठन (Organaisation) कृत्य (Function) तथा कर्त्वयों (Duties)की विशिष्टताएं (Particulars) :-

- स्थापत्यकला ।
- राज्य की सडकों एवं पुलों का सर्वेक्षण रूपांकन परिकल्पना, निर्माण, सुधार एवं देख रेख ।
- क्षेत्रीय विकास के लिये सौपें गये कार्यो को कार्यान्वित करना ।
- यह भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय अनुदान के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गो एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों मे मार्गो एवं पुलो से संबंधित सर्वेक्षण रूपांकन, निर्माण और रखरखाव का कार्य भी सम्पन्न करता हैं ।
- केन्दीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत दस्युग्रस्त क्षेत्रों में सडकों का निर्माण ।
- अन्तराष्ट्रीय एवं आर्थिक महत्व की सडको का निर्माण ।
- बांड बी.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत सडकों का विकास ।
- एशियन विकास बैक की सहायता से सडक निर्माण ।
- समय-समय पर सौपें गये अन्य कोई कार्य ।

<u>बिन्दु क्रमांक-2</u> :- इसके अधिकारीगण एवं कर्मचारी /कर्मकार/नियोजितों (Employees) की शक्तियां एवं कत्व्र्य :-

<u>संगठात्मक गठन</u> - प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता विभाग के शीर्ष् होगें । प्रमुख अभियंता विभाग की सभी गतिविधियों पर पर्यवेक्षण रखेगा एवं विभाग के व्यवस्थित कार्य संपादन के लिये शासन के प्रति दायी होगा ।

मुख्य अभियंतागण जो परिक्षेत्र के प्रभार में है और उनके आधीन शासन द्वारा मंजूर सर्किल/संभाग/उपसंभाग होगें इसके अतिरिक्त अन्य विवेचनाओं जैसे शोध परिकल्पना आदि की भी अपेक्षा अनुसार प्रकाशित किया जा सकता हैं ।

उपसंभागों /संभागों /सर्किलो की मांग का निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जावेगा ।

प्रशासनिक संरचना -

<u>प्रमुख अभियंता</u> :- प्रमुख अभियंता शासन का वृत्तिक सलाहकार होगा एवं विभाग के सभी कार्यो के लिये दायी होगा । यह मुख्य अभियंतागण के मध्य समन्वित प्राधिकारी भी होगा ।

<u>मुख्य अभियंता</u> :- मुख्य अभियंता उसकी अधिकारिता के अंतर्गत प्रशासन एवं कर्मचारीवृन्द को नियंत्रित करने के संबंध मे विभाग का शीर्ष होगा ।

सर्किल विभाग की प्रशासनिक ईकाई सर्किल हैं । अधीक्षण यंत्री स्वयं के प्रभार में होने वाले सर्किल के भीतर संपादित कार्यो के निष्पादन एवं प्रबंध के लिये दायी हैं ।

संभाग :- (क) विभाग की कार्यकारी ईकाई कार्यपालन यंत्री के प्रभार में होने वाला संभाग हैं । जो सहायक यंत्री गण के लिए विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हैं । कार्यपालन यंत्री उसके संभाग के अन्तर्गत कार्यो के प्रबंध एवं निष्पादन के दायी हैं ।

(ख) संभाग अधिकारी प्राथमिक संवितरक के रूप में सम्पूर्ण संभाग के सभी वित्तीय संव्यवहारो एवं खातों के उचित रख्रखाव के लिये दायी होगा । आंकेक्षण एवं सामान्य लेखों में सम्मिलित करने के लिये नियम दिनांक तक उससे महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करने की अतिरिक्त अपेक्षा भी की जाती हैं । वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके संभाग मे लेखों को बकाया होने की अनुमति नही गई हैं।

उपखंड :- संभाग को उपखंडो मे विभक्त किया गया हैं । प्रत्येक उपखंड सहायक यंत्री के प्रभार मे होगा जो विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हैं । अनुविभागीय अधिकारी उसके उपखंड के आधीन कार्य के निष्पादन एवं प्रबंध के लिये कार्यपालन यंत्री के प्रति जिम्मेदार हैं ।

अनुभाग :- उपखंड को उप अभियंता के प्रभार में अनुभागों मे विभक्त किया जाता हैं जो कि उसके अनुभाग के कार्य के निष्पादन एवं प्रबंध के लिये दायी होगा । अनुभाग उनकी सीमाएं एवं मुख्यालय को सहायक यंत्री द्वारा नियत किया जावेगा । किसी अभियंता को अनुभाग का प्रभार नही दिया जावेगा जब तक कि वह विहित प्रशिक्षण नही ले चुका हैं अथवा लेखें परीक्षा को उत्तीर्ण नही कर चुका हैं ।

संरचना का वर्णनात्मक विवरण एवं श्रेणीबद्ध मानचित्र संलग्न हैं । (प्रपत्र 1) (सहपत्र क्रमांक एक) विभिन्न अधिकारियों के कर्तव्यों (Funtion) एवं जिम्मेदारी मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली 1983 खंड II भाग I के अपेडिक्स 1.22 से 1.30, 1.33 तक (Ammended) / Administrative Circulars issued /Uptodate में विस्तृत रूप से दर्शाये गये हैं । इसके साथ-साथ मध्यप्रदेश वित्त संहिता वाल्यूम I एवं II मे निहित अधिकार भी उपरोक्त अधिकारियों को प्रदत्त हैं।

बिन्दु क्रमांक-3 :- विनिश्चय /निर्णय किये के प्रक्रम (Process) में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया (Procedure) और निगरानी / पर्यवेक्षण (Supervision) तथा जबावदेही का माध्यम / सारणी (Channel) भी :-

लोक निर्माण विभाग राज्य के लोक भवनों एवं पुलों एवं सडकों के निर्माण हेतु प्रमुख अभिकरण हैं जैसे कि विस्तार से मेन्युअल 1 मे दर्शाया गया हैं । विभाग में सहायक यंत्री से लेकर प्रमुख अभिंयता स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप लिये जाने वाले निर्णयों को विस्तार से मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली 1983 खंड II भाग I के अपेडिक्स 1.33 में दर्शाया गया हैं ।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी किये गये वित्तीय, स्थापना एवं कार्य नियमावली एवं नियमावली में समय-समय पर जारी किये गये संशोधन भी संलग्न किये गये हैं । विभिन्न स्तर के कार्य निष्पादन श्रेणीवद्ध मानचित्र में संलग्न हैं (प्रपत्र-2) सहपत्र क्रमांक-2

बिन्दु क्रमांक-4 :- उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा मानदंड /प्रतिमान निश्चित करना :-

मापदंड :- प्रत्येक परिक्षेत्र, मंडल, संभाग, उपसंभाग तथा अनुभाग का कार्यक्षेत्र एवं कार्य का परिणाम विभाग द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से संवाहित किये गये हैं । जो कि संलग्न हैं ।

एवं अन्य मापदंड :- वित्तीय एवं अन्य मापदंड भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिये निर्माण विभाग नियमावली 1983 खंड 2 भाग 1 के एपेडिक्स 1.33 तथा 2.30 मे दर्शाये गये हैं । इसके अतिरिक्त शासन द्वारा परिपत्रों के माध्यम से इसे अघतन किया गया हैं । परिपत्रों की सूची संलग्न हैं ।

- कार्यो की तकनीकि स्वीकृतियां देने बावद समय सीमा हेतु प्रत्येक स्तर पर समय निर्धारण हेतु परिपत्र जारी किये गये हैं जो कि संलग्न हैं ।

- निविदाओं पर निर्णय लेने हेतु विभिन्न स्तरों पर समय सीमा परिपत्रों द्वारा निर्धारित की गई हैं । जो कि संलग्न हैं । (सहपत्र क्रमांक-3)
- गुणवत्ता प्रबंधन :- निर्माण कार्य का स्तर एवं विशिष्टता का सही ढग से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु विभाग निम्नलिखित कोडस (Codes) का परिपालन करता हैं :-

  - आई.आर.सी. कोडस
  - नेशनल बिल्डिंग कोडस
  - बी.आई.एस. कोडस
  - सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेशिफिकेशन एवं रेट डाटा एनालेसिस
  - एम.ओ.आर.एस.टी.एच. स्पेशिफिकेशन
  - शेडुल्य आफ रेट
  - बुक आफ फायनेशियल पावर्स

विभाग द्वारा विषय वस्तु से संबंधित परिपत्र, एमेंडमेन्टस एवं निर्देश संबंधित परिपत्र संलग्न हैं ।

बिन्दु क्रमांक-5 :- उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के आधीन या उसके कम्रचारियों /कर्मकारों /नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गये नियमों विनियमों अनुदेशों (Instructions) मेन्युअल्स और अभिलेख (Records) :-

मध्यप्रदेश वर्क्स डिपारटमेंट नियमावली 1983

खंड I
खंड II भाग I
खंड II भाग II
मेन्युअल मे दर्शाये गये रिकार्डस
जैसा कि

- कार्य संबंधी
- बिल्डिंग रजिस्टर
- पुल-पुलियों एवं मार्गो के रजिस्टर
- प्रशासकीय स्वीकृति रजिस्टर
- तकनीकि स्वीकृति रजिस्टर

- रोड मेटल रेट बुक
- टेंडर रजिस्टर
- शेडुल्य आफ रेटस
- अन्य रिकार्ड जो मुन्युअल मे दर्शाये गये हैं ।

स्थापना संबंधी

- भर्ती नियम, सर्विस रूल्स
- सेवा पुस्तिक
- ग्रेडेशन लिस्ट
- पदस्थापना रजिस्टर
- विभागीय ढांचा
- विभिन्न श्रेणियों के पे-स्केल
- समय-समय पर प्राप्त Pay Scales Revised तथा मंहगाई भत्ता एवं अन्य सुविधाओं संबंधी Circulars and Orders.

लेखा एवं बजट संबंधी

- विधान सभा द्वारा पारित बजट
- वित्त विभाग द्वारा प्राप्त आबंटन
- माहवारी आय व्यय, संबंधी जानकारी
- Vouchers.
- एवं अन्य रिकार्ड नियमावली मे दर्शाये अनुसार

गुणवत्ता प्रबंधन

- इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित कोडस
- एम.ओ.आर.एस.टी. स्पेशिफिकेशन
- सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेशिफिकेशन
- बी.आई;एस. कोडस
- नेशनल बिल्डिंग कोडस
- शेडुल्य आफ रेटस

सामान्य

निर्माण विभाग नियमावली खंड 2 भाग 2 के Appendics 9.11 में दर्शाये गये अन्य अभिलेख एवं इन अभिलेखों के परिलक्षित करने की समय सीमा ।

<u>बिन्दु क्रमांक-6</u> :- इसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के आधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण (A Statements of the categories of documents)

- योजना से संबंधित
- बजट से संबंधित
- स्थापना से संबंधित
- सामान्य (निविदा टोल इत्यादि से संबंधित)

उपरोक्त अभिलेखो की विस्तृत जानकारी निर्माण विभाग नियमावतल 1983 के भाग 2 खंड के अपेडिक्स 9.11 में विस्तृत रूप से दी गई है ।

<u>बिन्दु क्रमांक-7</u>

उसकी नीति के सूत्रीकरण / प्रतिपादन (Formulation) अथवा उसके कार्यान्वयन /परिपालन के संबंध में किसी प्रबंध / व्यवस्था की विशिष्टियां के संबंध में किसी प्रबंध / व्यवस्था की विशिष्टियां जो लोक सदस्यों द्वारा परामर्श किये जाने के लिए या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए मौजूद है / अस्तित्व में है ।

मध्यप्रदेश शासन स्तर एवं प्रमुख / मुख्य अभियंता कार्यालय स्तर पर लोक सदस्यों द्वारा परामर्श किये जाने के लिए परामर्श दात्री समितियों का गठन किया गया है ।

<u>बिन्दु क्रमांक- 8</u>

उन बोर्ड (Board) परिषदों कमेटियों तथा अन्य निकायों जिनमें दो या अधिक व्यक्ति उनके गठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श की क्या आशय के लिए रखे गये है । का विवरण (Statements) और इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डो परिषदों कमिटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन पब्लिक के लिए (सार्वजनिक रूप से) खुले है और क्या ऐसे सम्मिलनों के बयौरे / विवरण पब्लिक के पहुंच योग्य / अभिशगम्य (Accessible) है ।

मध्यप्रदेश शासन ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा हेतु तीन समितियों का गठन किया है ।

1- स्थाई वित्तीय समिति
2- वित्तीय व्यय समिति
3- परियोजना परीक्षण समिति

प्रत्येक समिति द्वारा समय-समय पर परियोजना के परिणाम का आंकलन एवं इस आधार पर उसी रूप में अथवा संशोधित रूप में जारी रखने या नही रखने बाबत निर्णय लिया जाता है ।

निविदा एवं खरीदी स्वीकृत हेतु शासन स्तर प्रमुख अभियंता स्तर, मुख्य अभियंता स्तर, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री स्तर पर समितियां गठित है । जिसमें संबंधित परिपत्र संलग्न है । (सहपत्र क्रमांक 4)

इस संबंध में जारी समितियों की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से खुली नही है ।

<u>बिन्दु क्रमांक- 9</u> इसके अधिकारियों और कर्मचारियों / नियोजितों की निर्देशिका (डायरेक्टरी)

संभाग में कुल अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या है ।

श्रेणीवार विभाजन निम्नानुसार है :-

म.प्र. अभियांत्रिकी सेवा वर्ग	1
संभागीय लेखाधिकारी -	1 (महालेखाकार म.प्र. द्वारा नियुक्त)
म.प्र. अभियांत्रिकी सेवा वर्ग 2 -	3
म.प्र. अभियांत्रिकी सेवा वर्ग 3 -	14
गैर यांत्रिकी वर्ग 3 -	45
कार्यभारित कंटेजेंसी वर्ग 3 -	36
गैर यांत्रिकी वर्ग 4 -	11
कंटीजेंसी एवं कार्यभारित सेवाएं वर्ग 4 -	28

More information being updated

<u>बिन्दु क्रमांक-10</u> :- मासिक पारिश्रमिक (Remuneration) जो उके प्रत्येक अधिकारियों ओर कर्मचारियों द्वारा प्राइज़ किया गया है तथा उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति / मुआवजे / प्रतिकार की पद्धती (System) भी :-

विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियोकं को देय वेतन भत्ते एवं कटौतियों की जानकारी प्रपत्र में सलग्न है । (प्रपत्र) (सहपत्र क्रमांक 5)

<u>बिन्दु क्रमांक-11 :-</u> उसकी प्रत्येक ऐजेंसी (अभिकरण) के लिए आबंटित बजट समस्त योजनाओं (Plans) की प्रस्तावित खर्चो (व्ययों) की तथा किये गये भुगतानों / अदायगी की रिपोटर्स की विशिष्टियां (Particulars)

विभाग का जिलेवार आय व्यय पत्रक संलग्न है । इस प्रपत्र में माह 07/2019 तक का व्यय भी दर्शाया गया है । (आय व्यय पत्रक संलग्न है) प्रपत्र 4 (सहपत्र क्रमांक 6)

<u>बिन्दु क्रमांक- 12</u> :- अनुदान के (Subsidy) प्रोग्राम के प्रवर्तन की रीति (Manner) और आबंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण (Details)

वर्तमान में विभाग द्वारा कोई भी कार्य सबसिडी प्रोग्राम के अंतर्गत नही किया जाता है ।

<u>बिन्दु क्रमांक- 13</u> :- उसके द्वारा दी गई रियायतो /सुविधाओं अनुज्ञा - पत्रों (Permits) या मंजूर किये गये प्राइज़ को प्राप्त करने वालों की विशिष्टियां :-

विभाग द्वारा पुलों एवं नावघाट पर टोल टैक्स अधिरोपित किया जाता है । परन्तु कुछ वाहनों तथा व्यक्तियों को पथकर भुगतान से मुक्त रखा गया है ।

पथकर से मुक्त किये गये व्यक्तियों एवं वाहनों की सूची मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावतली 1983 के खंड 2 भाग 2 के परिशिष्ट 9.19 तथा 9.26 में दी गई है । टौल दरों की अद्यतन सूची एवं नियम संलग्न है । (सहपत्र क्रमांक 7)

व्ही.आई.पी. अतिथिगृह विश्रामभवन विश्रामगृह निरीक्षण बंगला एंव निरीक्षण हट के उपयोग हेतु शासन द्वारा सुसंगत नियम बनाये है । जिसकी अद्यतन प्रतिलिपि संलग्न है । (सहपत्र क्रमांक 8)

<u>बिन्दु क्रमांक- 14</u> :- उसके द्वारा प्राइज़ या उसके द्वारा धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे विवरण (Detail)

जानकारी इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा रही है ।

<u>बिन्दु क्रमांक- 15</u> :- नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए प्राइज़ सुविधाओं की विशिष्टीयों ओर वाचनालय (लायब्रेरी) या रींडिंग रूम (अध्ययन कक्ष) के कार्यकारी घंटे (समय) यदि लोक उपयोग के लिए बनाये रखा गया हे की भी विशिष्टियां :-

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना के अधिकार हेतु सिटिजन चार्टर जारी किया गया है । प्रतिलिपि संलग्न है ।
- जानकारी आदेश में वर्णित संबंधित से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।
- जानकारी हेतु प्रथक से किसी लाईब्रेरी अथवा रीडिंग रूम की व्यवस्था नही है ।

<u>बिन्दु क्रमांक- 16</u> :- लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदसंज्ञा /पदनाम तथा अन्य शासन लोक निर्माण विभाग ने पत्र क्रमांक /4/1/2005/सा/19/दिनांक 22.08.2005 द्वारा अधिकारियों से संबंधित लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है । आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है । इसी तारतम्य में संभाग द्वारा जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है । (प्रपत्र 5 एवं 6) (सहपत्र क्रमांक 9)

<u>बिन्दु क्रमांक- 17</u> :- ऐसे अन्य सूचनाए जो विहित की जायेगा ।

निरंक

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग क्रमांक एक सिवनी

सहपत्र-एक

संभाग के अन्तर्गत अनुविभाग एवं उनके सेक्सन मुख्यालय की जानकारी

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र-1 सिवनी

उपसंभाग क्र-1 सिवनी		उपसंभाग क्र-2 सिवनी		उपसंभाग केवलारी		उपसंभाग लखनादौन	
सेक्सन	मुख्यालय	सेक्सन	मुख्यालय	सेक्सन	मुख्यालय	सेक्सन	मुख्यालय
मुख्यालय उपखंड	सिवनी	मुख्यालय उपखंड-2	सिवनी	केवलारी उपखंड	केवलारी	मुख्यालय लखनादौन	लखनादौन
कांहीवाडा उपखंड	सिवनी	मुंगवानी उपखंड	सिवनी	छिंदा उपखंड	छिंदा	घंसौर उपखंड	घंसौर
बरघाट उपखंड	बरघाट	बंडोल उपखंड	सिवनी	पलारी उपखंड	पलारी	धनौरा उपखंड	धनौरा
		कुरई उपखंड	कुरई	उगली उपखंड	उगली	धूमा उपखंड	धूमा
		अरी उपखंड	सिवनी				
		गोपालगंज उपखंड	गोपालगंज				

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग क्रमांक एक सिवनी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र-1 सिवनी

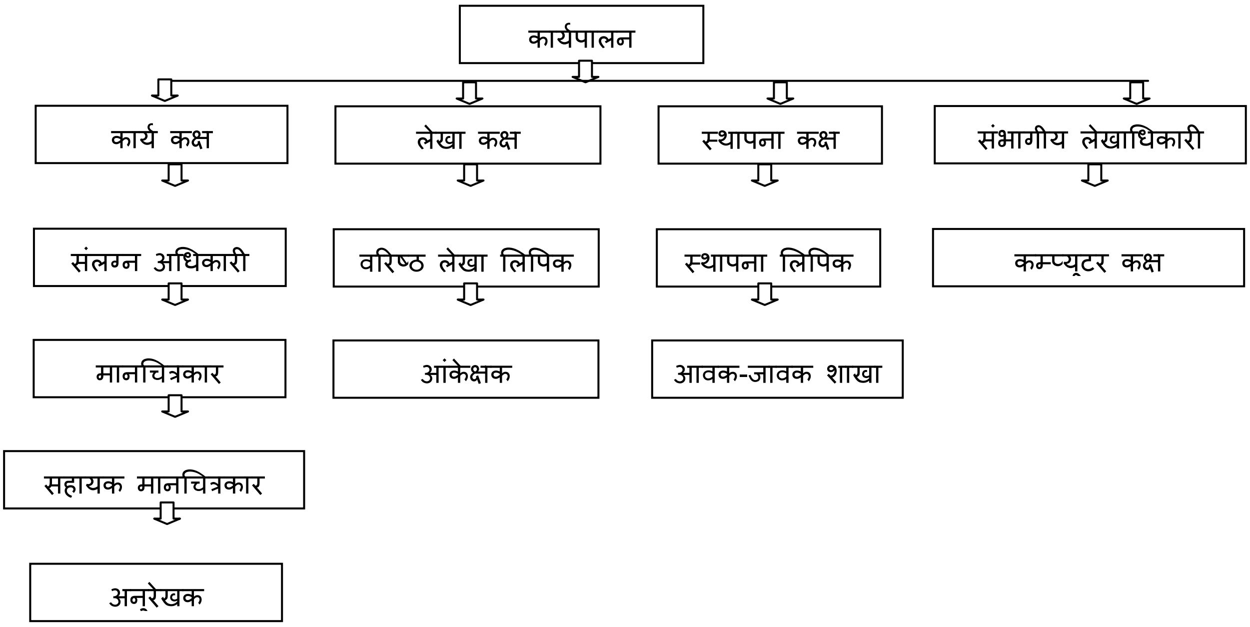

(सहपत्र क्रमांक-3)

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय भोपाल

पत्र क्रमांक एफ-53/3/3622/10/यो/2011 भोपाल दिनांक 13/07/2011

आदेश

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया हैं कि निर्माण कार्य हेतु निविदा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से निविदा प्राप्त होने (फायनसियल बिड खोलने) की समय सीमा दो लिफाफा पद्धति से निविदा आमंत्रण हेतु अधिकतम 30 दिन तथा तीन लिफाफा पद्धति (पोस्ट क्वालिफिकेशन) के लिये निविदा आमंत्रण 40 दिन रखी जावे । निविदाओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक निर्माण विभाग मे प्रत्येक स्तर पर निविदा निराकरण समिति का गठन एवं निविदा निराकरण की समयसीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :'

(1) संभाग स्तर पर निविदा निराकरण समिति -

कार्यपालन यंत्री	-	अध्यक्ष
लेखापाल	-	सदस्य
संबंधित अनुविभागीय अधिकारी	-	सदस्य
संभागीय वरिष्ठ लेखा लिपिक	-	सदस्य
टेक्नीकल बिड इवेल्येशन अनुमोदन हेतु उच्च कार्यालय को भेजने की समय सीमा	-	टेक्नीकल बिड खोलने की तिथि से 7 दिन
निविदा निराकरण /निराकरण हेतु उच्च कार्यालय प्रेषित किये जाने की समय सीमा	-	निविदा की फाईनेशियल बिड खोलने की तिथि से 7 दिन

(2) मंडल स्तर पर निविदा निराकरण समिति -

अधीक्षण यंत्री	-	अध्यक्ष
संबंधित कार्यपालन यंत्री	-	सदस्य
संलग्न कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्री	-	सदस्य
मंडल अधीक्षक /मंडल कार्यालय की सामान्य शाखा प्रमुख	-	सदस्य
टेक्नीकल बिड इवेल्येशन अनुमोदन हेतु उच्च कार्यालय को भेजने की समय सीमा	-	कार्यपालन यंत्री से प्राप्त होने की तिथि से 3 दिन
निविदा निराकरण /निराकरण हेतु उच्च कार्यालय प्रेषित किये जाने की समय सीमा	-	कार्यपालन यंत्री से प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन

(3) परिक्षेत्र स्तर पर निविदा निराकरण समिति -

मुख्य अभियंता	-	अध्यक्ष
संबंधित अधीक्षण यंत्री /संबंधित अधीक्षण यंत्री की अनुपस्थिति में संबंधित कार्यपालन यंत्री	-	सदस्य
संलग्न अधीक्षण यंत्री /कार्यपालन यंत्री	-	सदस्य
परिक्षेत्रीय लेखा अधिकारी/ परिक्षेत्र कार्यालय की समान्य शाखा प्रमुख	-	सदस्य

टेक्नीकल बिड अनुमोदन करने का समय	-	अधीक्षण यंत्री कार्यपालन यंत्री से प्राप्त होने की तिथि से 3 दिन
निविदा निराकरण /निराकरण हेतु उच्च कार्यालय प्रेषित किये जाने की समय सीमा	-	मंडल कार्यालय से निविदा प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन

(4) प्रमुख अभियंता स्तर पर निविदा निराकरण समिति -

प्रमुख अभियंता	-	अध्यक्ष
संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित मुख्य अभियंता की अनुपस्थिति में संबंधित अधीक्षणयंत्री	-	सदस्य
मुख्य अभियंता (योजना/बजट)	-	सदस्य
वरिष्ठ लेखाधिकारी /लेखाधिकारी	-	सदस्य
निविदा निराकरण की समय सीमा	-	परिक्षेत्रीय कार्यालय से निविदा प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन

(5) शासन स्तर पर निविदा निराकरण समिति -

मा0 मंत्रीजी लो.नि.वि.	-	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, लो.नि.वि.	-	सदस्य
सचिव, लो.नि.वि.	-	सदस्य
प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.	-	सदस्य
उपसचिव (योजना/बजट)/विशेष कर्तव्यथ अधिकारी	-	सदस्य
निविदा निराकरण की समय सीमा	-	परिक्षेत्रीय कार्यालय से निविदा प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन

(1) समिति की बैठके व निविदा प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण नियमित रूप से इस तरह हो कि निविदाओं का निराकरण निर्धारित समयावधि मे अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो सकें ।

(2) शासन स्तर पर निराकृत की जाने वाली निविदायें मुख्य अभियंता द्वारा सीधे शासन को प्रेषित की जायेगी।

(3) निविदा निराकरण हेतु उच्च कार्यालय को भेजते समय भेजने वाले कार्यालय में प्रकरण प्राप्ति का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जाये ।

(4) वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 यथा संशोधित आदेश के अंतर्गत विभिन्न स्तरो पर वित्तीय अधिकार निर्धारित किये गये हैं ये यथावत रहेंगें ।

(5) आवश्यकता होने पर उपरोक्त समितियों को पुनर्गठन शासन की अनुमति से किया जा सकता हैं ।

(6) कार्यपालन यंत्री के अधिकारी क्षेत्र की निविदाएं संभागीय कार्यालय में एवं शेष समस्त निविदायें संबंधित मंडल कार्यालय में खोली जावेगी । मंडल कार्यालय में खोले जाने वाली निविदाओं के दस्तावेज जिनकी हार्ड कापी यथा अर्नेस्ट मनी, क्वालीफिकेशन डाकयूमेटस या अन्य लिफापे इत्यादि को नियत तिथी तक संभागीय कार्यालय या अधीक्षण यंत्री कार्यालय में जमा करवाया जा सकता हैं ।

(7) उपरोक्त निर्देश प्रोजेक्ट डायरेक्टर (PMU) परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयो (PIU) एवं परियोजना संभागों पर भी लागू होगें ।

(8) इस संबंध में जारी समस्त पूर्व आदेशो को एतद द्वारा निरस्त किया जाता हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/-

(**विजय सिंह वर्मा**)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लो.नि.वि.मंत्रालय भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक एफ-53/3/3622/10/यो/2011 भोपाल दिनांक 13/07/2011

प्रतिलिपि -

1- निज सचिव, मान. मंत्रीजी/ राज्यमंत्री जी लोक निर्माण विभाग

2- प्रमुख सचिव, समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल

3- प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल

4- प्रबंध संचालक, मध्यपदेश सडक विकास निगम भोपाल

5- समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल

6- मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रोजेक्ट डायरेक्टर भोपाल

7- समस्त आयुक्त मध्यप्रदेश

8- समस्त अधीक्षण यंत्री सेतु/रा.रा;मंडल लोक निर्माण विभाग

9- समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश

10' समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिविल/

11- समस्त महाप्रबंधक परियोजना क्रियान्वयन ईकाई मध्यप्रदेश ।

(**विजय सिंह वर्मा**)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लो.नि.वि.मंत्रालय भोपाल

सहपत्र क्रमांक - 04

कार्यालय अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भवन/सडक) सिवनी मण्डल सिवनी

ज्ञाप क्र0/ 930 /सा/32-1/2016-17 सिवनी, दिनांक 06;06;2016

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
सिवनी

विषय:- वर्ष 2016-17 हेतु क्रय समिति का गठन ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सिवनी हेतु वर्ष 2016-17 हेतु क्रय समिति का गठन निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :-

1. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सिवनी — अध्यक्ष

2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग बालाघाट — सदस्य

3. संभागीय लेखाअधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सिवनी — सदस्य सह सचिव

अत: सामग्री क्रय करने के लिये दरों की स्वीकृति एवं भण्डार के अंतर्गत संभागीय क्रय समिति कार्य संपादन कराना सुनिश्चित करें ।

हस्ता/-

सहपत्र :- शून्य

अधीक्षण यंत्री
लो.नि.वि.(भ/स) मंडल सिवनी
दूरभाष - 220998

पृ.क्र;/ /सा/32-73/2016-17 सिवनी, दिनांक

प्रतिलिपि :-

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग बालाघाट की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

हस्ता/-

सहपत्र :- शून्य

अधीक्षण यंत्री
लो.नि.वि.(भ/स) मंडल सिवनी
दूरभाष - 220998

सहपत्र-पांच

कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते एवं कटौतियों की जानकारी (नियमित स्थापना)

क्र	श्रेणी	पदनाम	वेतनमान	वेतन	मंह गाई भत्ता	मकान भाडा	अन्य	योग	कटौतिया										शुद्ध देय
									जीपी एफ	8011	0215	2016	021	028	जीप किराया	अनाज अग्रिम	अन्य	कुल कटौती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	प्रथम	कार्यपालन यंत्री	67300-206900	108000	12960	0		120960	13000	600	0	950	10000	208	250	0	0	25008	95952
2	द्वितीय	सहायक यंत्री	15600-39100	278200	33384	0		311584	33611	1600	40	4850	0	624	1000	0	0	41725	269859
3	द्वितीय	लेखाधिकारी	9300-34800	74300	8916	9968	2916	95200	9000	60	0	0	0	208	00	0	0	9268	85932
4	तृतीय	उपयंत्री	9300-34800	698300	83796	4734		786830	88422	3600	0	2250	0	2288	0	0	0	96560	690270
5	चर्तुथ	मानचित्र. सहा.मान. अनुरेखक सहा.ग्रे.2 सहा.ग्रे.3	9300-34800	1352700	156683	12242		1521625	269368	6200	0	5240	0	2080	0	0	7500	294524	1227101
5	चर्तुथ	भृत्य	5200-20200	310000	37200	2889		350089	55684	1100	0	1100	0	2080	0	0	0	59964	290125
		योग		2821500	332939	29833	2916	3186288	469085	13160	40	14390	10000	11624	1250	0	7500	527049	2659239

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि,(भ/स)सं.क्र-1 सिवनी

सहपत्र-पांच

कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते एवं कटौतियों की जानकारी (कार्यभारित स्थापना)

क्र	श्रेणी	पदनाम	वेतनमान	वेतन	मंहगाई भत्ता	मकान भाडा	अन्य	योग	कटौतियां								शुद्ध देय
									8009	8011	अनाज अग्रिम	त्यौहार अग्रिम	मकान भाडा	जल	018 वृत्तिकर	कुल कटौती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	प्रथम	समयपाल /ड्रायवर	5200-20200	1255265	150632	11668	1560	898542	258392	7200	0	0	2450	0	7280	275322	1143141
2	द्वितीय	केयर टेकर, माली चौकीदार हेल्पर सहायक वायरमेन, स्वीपर	4440-7440	796400	95568	5014	898	1418463	136220	2800	0	0	1200	0	5824	146044	752498
		योग		2051665	246200	16682	2458	2317005	394612	10000	0	0	3650	0	13104	421366	1895639

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि,(भ/स)सं.क्र-1 सिवनी

सहपत्र-छै:

आय-व्यय पत्रक जुलाई 2019

क्र	मांग संख्या /मुख्य शीर्ष /उपशीर्ष	बजट आबंटन	पूर्व माह तक व्यय	माह जुलाई का व्यय	कुल व्यय
1	24-3054-04-337-0134-33-005 साधारण मरम्मत व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
2	24-3054-04-337-0102-0134-V-33-001 अनुरक्षण मरम्मत कार्य	35.00	13.74	20.97	34.71
3	24-3054-04-337-0134 व्यवसायिक सेवायें हेतु अदायगिया 31-007 परिवहन व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00
4	24-3054-04-33-001-6446 साधारण मरम्मत अन्य पेच रिपेयर 13वे वित्त आयोग	0.00	0.00	0.00	0.00
5	24-3054-04-337-9999-6446-33-001 अनुरक्षण मरम्मत	0.00	0.00	0.00	0.00
	(अ) योग 24-3054 जिला एवं अन्य मार्ग 04	**35.00**	**13.74**	**20.97**	**34.71**
1	24-3054-04-800-0102-7081-33-001 राज्य मार्गो एवं मु.जि.मा.का नवीनीकरण उन्नतिकरण एवं डामरीकरण	22.88	22.88	0.00	22.88
2	24-3054-04-800-0101-7081-33-001 राज्य मार्गो एवं मु.जि.मा.का नवीनीकरण उन्नतिकरण एवं डामरीकरण	0	0	0.00	0
3	24-3054-04-800-7563 गिटटीकृत सडको का डामरीकरण (नाबार्ड)	0	0	0.00	0
	(ब) योग 24-3054 निर्माण कार्य	**22.88**	**22.88**	**0.00**	**22.88**
	महायोग (अ)+(ब) 24-3054 निर्माण कार्य	**57.88**	**36.62**	**20.397**	**57.59**
1	67-2059-01-053-9999-0183-33-001 (0183) अन्य अनुरक्षण मरम्मत	30.00	10.00	11.80	21.80
	(अ) योग 67-2059	**30.00**	**10.00**	**11.80**	**21.80**
1	006-2054-00-097-9999-1026-V-33-001 जिला कोषालय सिवनी में रैनोवंशन कार्य ।	**0.83**	**0.83**	**0.00**	**0.83**
	(अ) योग 06-2054	**0.83**	**0.83**	**0.00**	**0.83**
1	67-2216-05-053-9999-1316-33-001 (1316) अनुरक्षण कार्य	5.00	5.00	0.00	5.00
	(ब) योग 67-2216	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**5.00**

क्र	मांग संख्या /मुख्य शीर्ष /उपशीर्ष	बजट आबंटन	पूर्व माह तक व्यय	माह जुलाई का व्यय	कुल व्यय
1	24-5054-04-800-1401-5226-64-002 ग्रामीण सडक निर्माण नाबार्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
2	24-5054-04-800-0101-2457-64-001 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	119.54	119.54	0.00	119.54
3	24-5054-04-800-0102-2457-64-001 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	39.00	39.00	0.00	39.00
4	24-5054-04-800-0101-4557-64-002 मार्गो का मजबूतीकरण	75.80	75.80	0.00	75.80
5	24-5054-04-800-0102-4557-64-002 मार्गो का मजबूतीकरण	9.67	9.67	0.00	9.67
	योग 24-5054	**244.01**	**244.01**	**0.00**	**244.01**
1	67-4059-01-051-0101-7568-64-002	0.00	0.00	0.00	0.00
2	19-4210-01-110-0101-7648-64-002	0.00	0.00	0.00	0.00
3	64-2403-00-101-0103-5093-32-000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	41-4202-01-203-0102-5086-32-000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	47-2203-00-800-0101-9978-33-001 पालिटेकनिक कालेज सिवनी मे मरम्मत	4.99	4.99	0.00	4.99
6	19-2210-01-196-0101-1473-33-001 अस्पताल एवं औषधालय शहरी क्षेत्र मे अस्पताल भवन	44.95	21.72	4.41	26.13
7	33-4225-02-800-0602-5221-32-800	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 67+19+64+41+47+33	**244.01**	**244.01**	**0.00**	**244.01**

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि,(भ/स)सं.क्र-1 सिवनी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक - 1 सिवनी

ज्ञाप क्रमांक / /सू.अ./2019-/ सिवनी, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
सिवनी (म.प्र.)

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वितीय अपीलीय अधिकारी की जानकारी भेजने बाबत ।

संदर्भ :-आपका पत्र क्रमांक 4325 / एन.आई.सी. /2019 / सिवनी, दिनांक 30.07.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत इस संभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वितीय अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसकी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
	जिला स्तर पर			
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) सं.क्र. 1 सिवनी	श्री के.पी.लखेरा कार्यपालन यंत्री मो.नं. 9424922624	श्री राजेश उके संभागीय लेखा अधिकारी मो.नं. 8461810118	श्री आर.पी.ठाकरे, अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि. सिवनी मंडल सिवनी फोन नं. 07692-220998
	अनुविभाग स्तर पर			
1	अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. (भ/स) उप सं.क्र. 1 सिवनी	श्री नीतेश सूर्यवंशी, अनुविभागीय अधिकारी मो.नं. 8770013742	श्री डी.डी. उपाध्याय, उपयंत्री, मुख्यालय मो.नं. 9425484343	श्री के.पी.लखेरा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) सं.क्र. 1 सिवनी मो.नं. 9424922624
2	अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. (भ/स) उप सं.क्र. 1 सिवनी	श्री आनंद बंसौड, अनुविभागीय अधिकारी मो.नं. 9893578393	श्री बी.एल.अवधिया, उपयंत्री, मुख्यालय मो.नं. 9425873996	श्री के.पी.लखेरा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) सं.क्र. 1 सिवनी मो.नं. 9424922624
3	अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. (भ/स) उप सं. केवलारी	श्री नीतेश सूर्यवंशी, अनुविभागीय अधिकारी मो.नं. 8770013742	श्री राजगुरू चौबे, उपयंत्री, मों.नं. 8435238078	श्री के.पी.लखेरा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) सं.क्र. 1 सिवनी मो.नं. 9424922624

क्र.	कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
4	अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. (भ/स) उप सं. लखनादौन	श्री बी.एल.पनिका, अनुविभागीय अधिकारी मो.नं. 9926139143	श्री लोकेश नायक, उपयंत्री, मों.नं. 9425484961	श्री के.पी.लखेरा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) सं.क्र. 1 सिवनी मो.नं. 9424922624

सहपत्र :- शून्य

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. (भ/स) सं.क्र. 1 सिवनी

पृ.क्र. / / सू.अ. / 2019-20 / सिवनी, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1- अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) सिवनी मंडल सिवनी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) अनुविभाग क्रमांक 1 / 2 सिवनी, केवलारी एंव लखनादौन अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सहपत्र :- शून्य

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. (भ/स) सं.क्र. 1 सिवनी